फर्द अहकाम

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

**धर्मपाल बनाम देवीलाल**

**प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 24 सन–2017**

| तरीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारिख |
|---|---|---|
| 22.03.2018 | वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर जावे। वकील सायल को स्थगन पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वह रोही मौजा सोनडी के खसरा न0 720/2 की 2.504हैक , खसरा न0 763 की 1.0240हैक , खसरा न0 764 की 6.1400हैक खसरा न0 786 की 16.8320हैक कुल 26.5060हैक में गैरसायल न0 1 देवीलाल के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि को आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.04.2018 तक बेचान नही किया जावे।<br><br>इस सम्बध मे यदि गैरसायल को कोई उज्र व एतराज हो तो इस न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित होकर वजह जाहिर करे अन्यथा क्यो ना यह आदेश ताफैसला दावा कन्फर्म कर दिया जावे । बाद मियाद गुजरने कोई उज्र एवं एतराज नही सुना जावेगा आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 23.04.2018 को पेश हो। Sd/- | |
| 23/4/18 | ... कैम्प सोनडी ... पेश हो। Sd/-<br>16.5.18 | गैरसायल 1 की ओर से हाजरी Sd/- 23-4-18 ([illegible]) |
| 9/5/18 | ~~पत्रावली कार्यवाही। प्रार्थी के अधिवक्ता के निवेदन पर स्थगन रोक आदेश [illegible] पेश हुए [illegible] को निवेदन किया कि वह प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहता व खारिज किया [illegible] [illegible] स्थगन आदेश खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।~~ Sd/- | Sd/- 9/5/18 |

Stay-Ordar –Seet-38

Scanned with CamScanner